कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्यप्रदेश

(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)
E-mail-dfotsatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक/मा0चि0/2352 दिनांक, /11 /3 /2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, भोपाल

विषयः– वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पी0एफ0–870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बसंल सतना के व्यपवर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2010

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 23.12.2025
2. आपका पत्र क्रमांक/2696 दिनांक 30.12.2025
3. आवेदक श्री शरद कुमार बंसल का पालन प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2026

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल, नई दिल्ली द्वारा वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पी0एफ0–870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण श्री शरद कुमार बसंल सतना के व्यपवर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2010 में स्वीकृति जारी की गई है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 02 से जारी स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में भेजने के निर्देश हैं।

आवेदक संस्था के पत्र दिनांक 13.02.2026 से प्रकरण में जारी स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 03 के पालन में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं के सम्बन्ध में आवेदित क्षेत्र का मौका स्थल निरीक्षण दिनांक 11.03.2026 को किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में पाया गया कि लीज अवधि समाप्त उपरान्त किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, किन्तु उक्त आवेदित क्षेत्र में वर्तमान में वन्यजीवों का अत्यधिक विचरण रहता है, जहां बाघ, तेन्दुआ, भालू एवं अन्य वन्यजीवों के विचरण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त होते रहते हैं। उक्त खदान क्षेत्र में भी बाघ एवं बाघ शावकों का सतत् विचरण एवं स्थाई रहवास क्षेत्र है। उत्खनन कार्य किये जाने से वन्यजीवों एवं उनके रहवास में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतएव उक्त आवेदित क्षेत्र में वर्तमान में वन्यजीवों का अत्यधिक विचरण होने एवं बाघ, तेन्दुआ, भालू एवं अन्य वन्यजीवों के विचरण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त होने तथा उक्त खदान क्षेत्र में बाघ एवं बाघ शावकों का सतत् विचरण एवं स्थाई रहवास क्षेत्र होने से उत्खनन कार्य किये जाने से वन्यजीवों एवं उनके रहवास में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्खनन कार्य की अनुमति नहीं दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रतिवेदन आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2353 सतना दिनांक /11 /3 /2026

प्रतिलिपि–

मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

Digitally signed by
Mayank Chandiwal
Date: 11-03-2026
16:11:02

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

E:\Shiv kishor\D.M 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015,2025\Memo 2026.docx165

Scanned with OKEN Scanner